



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 38 पटना, बुधवार, 1 आश्विन 1948 (श0)
23 सितम्बर 2026 (ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	भाग-9-विज्ञापन
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-4-बिहार अधिनियम	पूरक
	पूरक-क

11-17

18-22

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

11 सितम्बर 2026

सं० सं० ई2-2-71/2024-57—सुश्री स्मृति आनंद (बि०नि०से०) अवर निर्वाचन पदाधिकारी, लखीसराय का संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा-2025 में चयन होने के फलस्वरूप उनके आवेदन दिनांक 16.07.2026 के आधार पर अधिसूचना निर्गत की तिथि से विरमित किया जाता है।

2. सुश्री स्मृति आनंद द्वारा उक्त चयनित पद पर योगदान दिये जाने पर निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को कोई आपत्ति नहीं है।

3. इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
माधव कुमार सिंह,
अपर सचिव—सह—
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

16 सितम्बर 2026

सं० सं० ई2-2-23/2024-58—सुश्री काजल राज (बि०नि०से०) अवर निर्वाचन पदाधिकारी, राजगीर, नालन्दा का बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार पुलिस सेवा अंतर्गत पुलिस उपाधीक्षक, गृह विभाग के पद पर चयन होने के फलस्वरूप उनके आवेदन दिनांक 12.08.2026 के आधार पर दिनांक 24.08.2026 के अपराह्न से विरमित किया जाता है।

2. सुश्री काजल राज द्वारा उक्त चयनित पद पर योगदान दिये जाने पर निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को कोई आपत्ति नहीं है।

3. इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
माधव कुमार सिंह,
अपर सचिव—सह—
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

11 सितम्बर 2026

सं० I/499524/2026—श्रीमती दिव्या, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, तारापुर को प्रथम संतान हेतु वित्त विभाग के पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 में निहित प्रावधानों के अधीन एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1165 (23) दिनांक 21.07.2026 एवं 1586 (23) दिनांक 18.11.2024 से प्राप्त आदेयता के आलोक में दिनांक 01.05.2026 से 27.10.2026 तक कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों का मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
माधव कुमार सिंह,
अपर सचिव—सह—
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

16 सितम्बर 2026

सं० सं० ई2-2-107/2024-59—सुश्री प्राची शेखर सोनी (बि०नि०से०) अवर निर्वाचन पदाधिकारी, सदर पूर्णिया का संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा-2025 में चयन होने के फलस्वरूप उनके आवेदन दिनांक 14.08.2026 एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के पत्रांक-1482 दिनांक 17.08.2026 के आलोक में अधिसूचना निर्गत की तिथि से विरमित किया जाता है।

2. सुश्री प्राची शेखर सोनी द्वारा उक्त चयनित पद पर योगदान दिये जाने पर निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को कोई आपत्ति नहीं है।

3. इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
माधव कुमार सिंह,
अपर सचिव-सह-
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

15 सितम्बर 2026

सं० 21/बी.पी.एस.सी.(स्था०)-30/2025-16968/सा.प्र.—श्री परमार रवि मनुभाई, अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग को बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 1960 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-6 (1) के तहत व्यक्तिगत कारणवश मुख्यालय से बाहर रहने के कारण दिनांक 15.09.2026 से दिनांक 09.10.2026 तक कुल 25 (पच्चीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री परमार रवि मनुभाई, अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग का अतिरिक्त प्रभार में श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा, भा०प्र०से० (1992), अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्वद, बिहार, पटना को दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मो. आफाक अहमद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

BIADA

प्रभार प्रतिवेदन

31 अगस्त 2026

सं० 4045/ESTT—अधोहस्ताक्षरी मैं, कुन्दन कुमार, भा०प्र०से० (2004), सचिव, उद्योग विभाग-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा), पटना के पद का प्रभार आज दिनांक 31.08.2026 के पूर्वान् में स्वतः ग्रहण करता हूँ।

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-1/अ०-413/2007-सा०प्र०-13304, दिनांक-22.07.2026 द्रष्टव्य।

कुन्दन कुमार,
भारग्राही पदाधिकारी।

“प्रभार प्रतिवेदन”**11 सितम्बर 2026**

सं० 4200/ESTT—अधोहस्ताक्षरी में, कुन्दन कुमार, भा०प्र०से० (2004), सचिव, उद्योग विभाग (अतिरिक्त प्रभार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार फाउण्डेशन/प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा), पटना/प्रबंधक, आयडा) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1/पी०-1001/2026-सा०प्र०-16173, दिनांक-04.09.2026 के आलोक में प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा), पटना के पद का प्रभार श्री नवीन कुमार भा०प्र०से० (2011), विशेष सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रभारी सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट बिबरेजेज कॉरपोरेशन लि०, पटना) को आज 11.09.2026 के अपराह्न में सौंपता हूँ।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1/पी०-1001/2026-सा०प्र०-16173, दिनांक 04.09.2026 द्रष्टव्य।

कुन्दन कुमार,
भारमुक्त पदाधिकारी।

नवीन कुमार,
भारग्राही पदाधिकारी।

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

अधिसूचना
9 सितम्बर 2026

सं० एल/एच०जी०-14-20/2019-10917—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-19300 दिनांक-13.10.2023 एवं अधिसूचना संख्या-636, दिनांक-10.01.2024 द्वारा अधिसूचित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के तहत गुल्म समादेशक संवर्ग के निम्नांकित निरीक्षकों (वेतनमान वेतन स्तर-7) को बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के समादेष्टा संवर्ग के जिला समादेष्टा (वेतनमान वेतन स्तर-9) में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है:-

क्र०	पदाधिकारी का नाम एवं गृह जिला	कंपनी कमांडर के वरीयता क्रमांक (वरीयता सूची 2024 के अनुसार)	वर्तमान कोटि
1	श्री पराग कुमार सिन्हा/ भागलपुर	01/2024	निरीक्षक
2	श्री मनीष कुमार-2/ कटिहार	02/2024	निरीक्षक
3	श्री इमरानूल हक/ पटना	03/2024	निरीक्षक
4	श्री लाल बाबू ओझा/ भोजपुर	05/2024	निरीक्षक
5	श्री पवन कुमार मिश्रा/ पूर्णिया	06/2024	निरीक्षक

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-19300 दिनांक-13.10.2023 एवं अधिसूचना संख्या-636, दिनांक-10.01.2024 में निहित शर्तों एवं पत्र संख्या-10360, दिनांक-11.06.2026 द्वारा निर्गत दिशा-निदेश के अधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद गुल्म समादेशक संवर्ग के निरीक्षक को अगले आदेश समादेष्टा संवर्ग के जिला समादेष्टा के वेतन स्तर (विहित वेतनमान वेतन स्तर-9) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से जिला समादेष्टा (वेतन स्तर-9) के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शैलेन्द्र कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

सं०-6 एस०एस०(6)13/2025-1455

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा० प्र० से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना 15 दिनांक-26 मार्च, 2025

द्वारा :-

****आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :-

गव्य विकास निदेशालय अन्तर्गत गैर योजना मद से कुल 08 (आठ) जिलों में नये जिला गव्य विकास कार्यालय की स्थापना एवं विभिन्न कोटि के कुल 64 नये पदों का कुल ₹3,95,20,928/- (रुपये तीन करोड़ पंचानवे लाख बीस हजार नौ सौ अठाईस) मात्र के अनुमानित वार्षिक लागत पर सृजन स्वीकृति।

अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित।

महाशय,

उपर्युक्त विषयके संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त गव्य विकास निदेशालय अन्तर्गत गैर योजना मद से कुल 08 (आठ) जिलों में नये जिला गव्य विकास कार्यालय की स्थापना एवं विभिन्न कोटि के कुल 64 नये पदों का कुल ₹3,95,20,928/- (रुपये तीन करोड़ पंचानवे लाख बीस हजार नौ सौ अठाईस) मात्र के अनुमानित वार्षिक लागत पर सृजन स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणीसंलग्न।

- 2) राज्य में गव्य विकास निदेशालय अन्तर्गत गव्य प्रक्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाएँ जैसे समग्र गव्य विकास योजना, देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना, किसान प्रशिक्षण योजना, पशु बीमा योजना आदि क्रियान्वित की जा रही है। ये योजनाएँ राज्य के सभी 38 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। योजना का सफल क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य के सभी जिलों में जिला गव्य विकास कार्यालय के स्थापना की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।
- 3) राज्य के 17 जिलों में जिला गव्य विकास कार्यालय स्वीकृत/स्थापित नहीं है। उक्त के क्रम में प्रथम फेज में राज्य के 08 जिले यथा-प० चम्पारण (बेतिया), खगड़िया, समस्तीपुर, गया, कैमूर (भभुआ), भोजपुर (आरा), बेगूसराय एवं दरभंगा में जिला गव्य विकास कार्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता है।
- 4) वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2024-25 तक राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों के लिए समग्र गव्य विकास योजना, देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना, किसान प्रशिक्षण योजना, पशु बीमा योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना से दुग्ध उत्पादकों में डेयरी व्यवसाय के प्रति काफी रुझान आया एवं राज्य के विभिन्न बैंकों से ऋण स्वीकृत कर एवं स्वलागत से किसानों को स्वावलंबी बनाने में सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुआ है।
- 5) इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य के शेष 17 जिलों में से 08 जिला यथा-प० चम्पारण (बेतिया), खगड़िया, समस्तीपुर, गया, कैमूर (भभुआ), भोजपुर (आरा), बेगूसराय एवं दरभंगामें नये जिला गव्य विकास कार्यालय स्थापित किया जायेगा। प्रस्तावित 08 जिलों में निम्नलिखित कुल 64 नये पदों के सृजन किया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी/कर्मचारी पद नाम	वेतनमान एवं ग्रेड पे	वेतन स्तर	प्रस्तावित पदों की संख्या
1.	जिला गव्य विकास पदाधिकारी	₹ 47600-151100 ग्रेड पे –₹4800	08	08
2.	डेयरी फिल्ड ऑफिसर	₹ 35400-112400 ग्रेड पे –₹4200	06	24
3.	उच्च वर्गीय लिपिक	₹ 25500-81100 ग्रेड पे –₹2400	04	08
4.	निम्न वर्गीय लिपिक	₹ 19900-63200 ग्रेड पे –₹1900	02	08
5.	कार्यालय परिचारी	₹ 18000-56900 ग्रेड पे –₹1800	01	16
	कुल			64

- 6) इन कार्यालयों की स्थापना एवं पदों के सृजन होने से जिला स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारु एवं सुगम रूप से हो सकेगा। फलस्वरूप राज्य के सभी जिलों को गव्य विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं से अच्छादित किया जा सकेगा। इससे न केवल सभी जिलों का समग्र विकास होगा बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुदृढ़ होगी तथा स्वरोजगार का सृजन होगा।
- 7) जिला गव्य विकास पदाधिकारी का पद सम्बर्गीय एवं कैडर का पद है, इसलिए वरीयता क्रमानुसार कार्यरत कर्मी द्वारा नियुक्ति नियमावली में निहित प्रावधानों को अपनाते हुए भरा जायेगा।
- 8) इन पदों के सृजन पर होने वाले व्यय भार का वहन बजट शीर्ष 2404 डेयरी विकास-102 डेयरी विकास परियोजनाएँ, 0010-क्षेत्रीय स्थापना-मांग संख्या-02, विपत्र कोड 02 2404001020010 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- 9) दिनांक-21.02.2025 को संपन्न प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक में गव्य विकास निदेशालय अन्तर्गत गैर योजना मद से कुल 08 (आठ) जिलों में नये जिला गव्य विकास कार्यालय की स्थापना एवं विभिन्न कोटि के कुल 64 नये पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। संचिका संख्या-6 एस०एस०(6)13/2025 के पृष्ठ 08-07/प०.
- 10) दिनांक-19.03.2025 को संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्तावित स्कीम को मद संख्या-08 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है। संचिका संख्या-6 एस०एस०(6)13/2025 के पृष्ठ-24/टि०.
- 11) राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या-6 एस०एस०(6)13/2025 के पृष्ठ-25/टि० एवं डायरी संख्या-शून्य, दिनांक-22.03.2025.
- 12) वित्त विभागीय पत्रांक-7355, दिनांक-05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन
गीता सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

व्यय विवरणी
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-2025 में राज्य के 8 जिलों में नये जिला गव्य विकास कार्यालय की स्थापना की योजना पर सम्भावित व्यय की गणना विवरणी

क्र०	पदनाम एवं पुनरीक्षित वेतनमान	पदों की संख्या	पे लेवल	पुनरीक्षित		
				मूल वेतन	जीवन यापन भत्ता (53%)	मकान किराया भत्ता (10%)
	पुनरीक्षित					
	चिकित्सा भत्ता	शहरी परिवहन भत्ता (नगर निगम से संबंधित केवल 6 कार्यालयों के लिए)		6 कार्यालयों के लिए वास्तविक स्वीकृत पदों के अनुसार एक माह का अनुमानित कुल वेतन	06(छः) कार्यालयों के लिए वास्तविक स्वीकृत पदों के अनुसार एक वर्ष के लिये अनुमानित कुल वेतन/अन्य व्यय	

1	जिला गव्य विकास पदाधिकारी रू० 47600-151100 (पे लेवल-8) प्रत्येक कार्यालय में एक पद	8	08	47600 x 8 = 380800	25228 x 8 = 201824	8 x 4760 =38080
	1000 x 8 = 8000	6 x 1530 = 9180		637884	637884 x 12 = 7654608	
2	डैरी फिल्ड ऑफिसर रू० 35400-112400 (पे लेवल-6) प्रत्येक कार्यालय में तीन पद	24	06	35400 x 24 = 849600	18762 x 24 = 450288	24 x 3540 =84960
	24 x 1000 = 24000	18 x 918 =16524		1425372	1425372 x 12 = 17104464	
3	उच्च वर्गीय लिपिक रू० 25500-81100 (पे लेवल-4) प्रत्येक कार्यालय में एक पद	8	04	25500 x 8 = 204000	13515 x 8 = 108120	8 x 2550 =20400
	1000 x 8 = 8000	6 x 918 = 5508		346028	346028 x 12 = 4152336	
4	निम्न वर्गीय लिपिक रू० 19900-63200 (पे लेवल-2) प्रत्येक कार्यालय में एक पद	8	02	19900 x 8 = 159200	10547 x 8 = 84376	8 x 1990 =15920
	1000 x 8 = 8000	6 x 918 = 5508		273004	273004 x 12 = 3276048	
5	कार्यालय परिचारी रू० 18000-56900 (पे लेवल-1) प्रत्येक कार्यालय में दो पद	16	01	18000 x 16 = 288000	9540 x 16 = 152640	16 x 1800 =28800
	1000 x 16 = 16000	12 x 918 = 11016		496456	496456 x 12 = 5957472	
6	कुल	64		1881600	997248	188160
	64000	47736		3178744	38144928	

यात्रा व्यय	रु० 50000/- प्रत्येक कार्यालय x 8=400000	400000
कार्यालय व्यय	रु० 50000/- प्रत्येक कार्यालय x 8=400000	400000
किराया महसूल एवं कर	@6000/-p.m रु० 72000/- प्रत्येक कार्यालय x 8=432000	576000
कुल अनुमानित व्यय		रु० 3,95,20,928/-

(रुपये तीन करोड़ पन्चानब्बे लाख बीस हजार नौ सौ अठाईस) मात्र।

ह०—अस्पष्ट,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 27—571+100-डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम,
आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji

Office Order

The 5th September 2026

No.XI-K-रा०-03/2024-156—In the light of proposal received from District Magistrate, Jehanabad vide letter No.-397, dated-20.07.2026, Letter No-413, dated-27.07.2026 and Letter No-420 dated-30.07.2026 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
01	Sri Aditya Kumar Piyush	DDC-Cum- Chief Executive Officer, Zila Parishad, Jehanabad	District Level
02	Sri Surendra Kumar	DEO, Jehanabad	District Level
03	Sri Virendra Kumar	DTO, Jehanabad	District Level
04	Smt Mamta	CO, Jehanabad	Cilcle Level
05	Sri Abhinav Raj	CO, Kako	Cilcle Level
06	Sri Ajit Kumar	CO, Ghoshi	Cilcle Level
07	Smt Punam Bharti	CO, Modanganj	Cilcle Level
08	Miss Jyoti Priya	Project Manager-cum-Incharge General Manager, DIC, Jehanabad	District Level
09	Sri Kumar Ravi Ranjan	Incharge District Manager, BSFC, Jehanabad	District Level
10	Sri Anshu Radhe	Assistatnt Director(Chemical), Soil Testing Laboratory, Jehanabad	District Level
11	Sri NeelKamal	BDO, Jehanabad	Block Level
12	Sri Rajesh Kumar Dinkar	BDO, Makhdumpur	Block Level
13	Sri Manish Rastogi	Incharge District Fisheries Officer, Jehanabad	District Level
14	Sri Vikash Kumar	Assistant Treasury Officer, Jehanabad	District Level
15	Miss Arpna Jha	Assistant Director, District Social Security Cell, Jehanabad	District Level
16	Sri Dev Anand	Joint Commissioner, State Tax, Jehanabad	District Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji ,

Sd/-Illegible,

Secretary to Commissioner.

Office Order***The 8th September 2026***

No.XI-K-रा0.05/2024-157—In the light of proposal received from District Magistrate, Nawada vide letter No.-381, dated-28.08.2026 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
01	Sri Manoj Kumar	Additional Collector-cum- Additional District Magistrate, Nawada	District Level
02	Sri Ranjeet Kumar	DTO, Nawada	District Level
03	Smt Premlata Kumari	Sub-Divisional Agriculture Officer, Nawada	Sub-Division Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji ,
Sd/-Illegible,
Secretary to Commissioner.

Office Order***The 10th September 2026***

No.XI-K-रा0-03/2024-158—In the light of proposal received from District Magistrate, Jehanabad vide Letter No.-480, dated-27.08.2026 and Letter No.-462 dated-18.08.2026 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
01	Smt Vandana Kumari	District Sub Registrar, Jehanabad	District Level
02	Sri Sudarshan Kumar	Project Officer-cum-Director, National Employment Programme,	District Level
03	Smt Nipun Kumari	SDC, Jehanabad	District Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji ,
Sd/-Illegible,
Secretary to Commissioner.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 27—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 1035—I, Nandalal Paswan son of Ramashish Paswan, R/o Vill.+Post Jajuar, P.S. Katra, Distt. Muzaffarpur. That Sugandhi Kumari is my daughter and her real name Sugandhi Kumari (सुगंधी कुमारी) is mentioned in her all educational certificates. That my said daughter's name Sungadha Kumari is mentioned in her Aadhar card which is wrong. That Sugandhi Kumari and Sungadha Kumari is same girl who is my daughter and my said daughter is minor so I am swearing this affidavit. That from now she will be known as **Sugandhi Kumari** for all purposes. Affidavit No. 4227, Date: 31.08.2026.

SUGANDHI KUMARI.

No. 1036—I, **Suman Kumar** S/o Janak Prasad, R/O 54, Dighwara, Raipatti, P.O.+ P.S. Dighwara, Dist.-Saran, Bihar-841207, do hereby solemnly affirm and declare on oath as follows. That Aryan Kumar is my son. That in birth certificate in his name is written as Aryan Kumar. That in Aadhar card in his name is written as Saurabh Kumar. That Aryan Kumar and Saurabh Kumar both names are same and on person. That from now he shall be known as Aryan Kumar for all purposes. Affidavit No. 360 date 02.07.2026.

SUMAN KUMAR.

No. 1037—I, PAPPU SHARMA, S/o - Karu Sharma, R/o - Shekhpura, Near Elite Public School, Ramkrishna Nagar, P.O. - New Jaganpura, Dist. - Patna, Bihar - 800027. Do hereby solemnly affirm and declare that in my son's (TANISHK KUMAR) birth certificate as well as in his educational documents his name is mentioned as TANISHK KUMAR. But, in his Aadhar card his name is mentioned as TANISH KUMAR. Here, both the names belong to the names of my same son. And, from now in his future he will be known as **TANISHK KUMAR** for all his legal purposes. Affidavit no.- 3056, Date: - 27/05/2026.

PAPPU SHARMA.

No. 1038—I, Ayaz Ahmad S/o Mashuk Ahmad R/o Amirganj, Pandaul, Madhubani, Bihar-847234 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-3723 dt. 22.06.26 that Harun Ahmad is my son. His name is written in his Aadhar card as Gulame Harun which is wrong. In Birth certificate his name is written as Harun Ahmad. Both names are same and one person. From now he will be known as Harun Ahmad for all purposes.

AYAZ AHMAD.

No. 1039—I, Subhash Kumar Singh S/o Umesh Singh R/o Belahi Lacchi, Post-Siwaipatti, Ward No.-14, P.S.-Minapur Belahiya Lachhi, Muzaffarpur, Bihar-843128 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 2352 dt. 08.04.2026 that Stephen Chauhan is my son. His name is mentioned in his Aadhar Card as Stifan which is wrong. Where as in Birth Certificate written as Stephen Chauhan which is true and correct. Both name are same and one person. From now he will be known as Stephen Chauhan for all purposes.

SUBHASH KUMAR SINGH.

No. 1040—I, Subhash Kumar Singh S/o Umesh Singh R/o Belahi Lachhi, Post-Siwaipatti, Ward No.-14, P.S.-Minapur Belahiya Lachhi, Muzaffarpur, Bihar-843128 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 2354 dt. 08.04.2026 that Blessy in my daughter. Her name mentioned in her Aadhar Card as Blashi which is wrong. Whereas in Birth Certificate written as Blessy. Both names are same and one person. From now she shall be known as Blessy for all purposes.

SUBHASH KUMAR SINGH.

No. 1041—I, Arjun Kumar, S/o-Daroga Singh, R/o-New Mainpura, Kharanja Road, Pragati Nagar, Saguna More, Near Tridev Public School, Dinapur Cum Khagaul, Patna, Bihar-801503 do hereby declare as per aff. No. 1282 dt. 04.08.2026 that Sumit Kumar is my son whose name is written in Aadhar Card as Suraj Kumar which is wrong. In Birth Certificate his name is written as Sumit Kumar which is true and correct. Both names are same and one person. From now he will be known as Sumit Kumar for all purposes.

ARJUN KUMAR.

सं० 1042—मैं, सुरेन्द्र राय पिता-स्व. रामचंद्र राय निवासी बेलाही दुल्लह, थाना-हिरम्मा (तरियानी), पत्रालय कस्तुरीया, जिला-शिवहर-843329 बिहार शपथ पत्र सं. 4521 दि. 23.07.26 द्वारा सूचित करता हूं कि मेरी पुत्री के आधारकार्ड में उसका नाम साक्षी कुमारी (Sankshi Kumari) अंकित हो गया है, जो गलत है। उसके B.S.E.B. के दसवीं मार्कशीट में साक्षी कुमारी (Sakshi Kumari) अंकित है। उपरोक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है, जो मेरी पुत्री है। भविष्य में सभी कार्य हेतु मेरी पुत्री साक्षी कुमारी कि (Sakshi Kumari)के नाम से जानी व पहचानी जायेगी।

सुरेन्द्र राय ।

सं० 1043—मैं, प्रेम रंजन पुत्र— गौतम प्रसाद, पता— गंगा विहार कॉलोनी, पो0— महेंद्रू, थाना— सुलतानगंज, पटना-6 शपथ पत्र संख्या— 2209 दिनांक 04.06.26 अनुसार मेरी पुत्री आरोही अब आरोही खत्री के नाम से जानी जाएगी।

प्रेम रंजन।

No. 1043—I, Prem Ranjan S/o Gautam Prasad, R/O-Ganga Vihar Colony, P.O.-Mahendru, P.S.- Sultanganj, Patna-6 Vide Afd No.-2209 Dt. 04.06.26 have changed my daughter's name from Aarohi to **Aarohi Khatri** for all purpose.

PREM RANJAN.

सं० 1044—मैं, प्रेम रंजन पुत्र— गौतम प्रसाद, पता— गंगा विहार कॉलोनी, पो0—महेंद्रू, थाना—सुलतानगंज, पटना-6 शपथ पत्र संख्या—2210, दिनांक 04.06.26 अनुसार मेरी पुत्री आरिका अब आरिका खत्री के नाम से जानी जाएगी।

प्रेम रंजन।

No. 1044—I, Prem Ranjan S/o Gautam Prasad, R/O- Ganga Vihar Colony, P.O.-Mahendru, P.S.- Sultanganj, Patna-6 Vide Afd No.-2210 Dt. 04.06.26 have changed my daughter's name from Aarika to **Aarika Khatri** for all purpose.

PREM RANJAN.

सं० 1045—मैं, कंचन कुमार केशरी, पुत्र केदार प्रसाद केशरी, निवास-सांखु वार्ड नं.-02, बहुआरा, जिला-बेगूसराय, बिहार- 851204 शपथ पत्र सं. 1329 ता. 15. 5.26 द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि रोहित कुमार केशरी मेरा पुत्र है। उसके आधार कार्ड में उसका नाम गलती से रोही कुमार केशरी (Rohi Kumar Keshari) दर्ज है, जो गलत है। रोहित कुमार केशरी (Rohit Kumar Keshri) एवं रोही कुमार केशरी (Rohi kumar Keshari) दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है, जो मेरा पुत्र है। भविष्य में सभी कार्यों के लिए अब वह रोहित कुमार केशरी (Rohit Kumar Keshri) के नाम से जाना एवं पहचाना जायेगा।

कंचन कुमार केशरी।

No. 1046—I, Firoz Alam S/o Abdul Uhav, R/o Line Bazar, Kasai Mohalla, P.S.-Sahayak K. Hat, Distt.-Purnia, Bihar-854301 do hereby declare that my daughter's name is wrongly written in her Aadhar Card as Rasem. Whereas in Birth Certificate written as Resham Parween. Both names are same and related with same and one person. From now she shall be known as Resham Parween for all pursposes. Aff. No. 4073 dt. 08.07.2026.

FIROZ ALAM.

No. 1047—I, **LAKHPATI DEVI**, W/o – Paras Kumar, R/o – Ganga Bridge Colony, Hajipur, Vaishali, Bihar - 844101. Do hereby solemnly affirm and declare that in my Aadhar as well as in my PAN card my name is mentioned as LAKHPATI DEVI. But, in my educational documents my name is mentioned as LAKHPATI KUMARI. Here both the names belong to the names of the same person. And, from now in my future I will be known as **LAKHPATI DEVI** for all my legal purposes. Affidavit no.– 4244, Date: - 22/07/2026

LAKHPATI DEVI.

No. 1049—I, HIRDA Nand Kumar S/o - Jitendra Mistri R/o Vill. + PO - Banauli khurd, PS- Khirimore Dist. - Patna Vide Afd No.3127 Dt. - 13.07.2026 Shall be known as Hirdayanand Kumar for all purposes.

HIRDA NAND KUMAR.

सं० 1049—मैं, हिरदा नन्द कुमार, पुत्र-जितेन्द्र मिस्त्री पता-ग्राम+पो-बनौली खुर्द थाना-खिरीमोर, जिला-पटना शपथ पत्र सं०-3127, दिनांक 13.07.26 अनुसार हृदयानंद कुमार के नाम से जाना जाता हूँ।

हिरदा नन्द कुमार।

No. 1050—I RISHAV S/o Deepak Narayan Lal R/o-Timber Campus, Pirmohani, PO-Kadamkuan, Ps- Gandhi Maidan, Dist.- Patna, Bihar declare vide affidavit no. 933 dt. 14.07.2026 now shall be known as **Rishav Lal.**

RISHAV.

सं० 1051—मैं, मणि कुमारी पति-बालकृष्ण सिंह ग्राम-पबड़ा वार्ड नंबर 03 पोस्ट पवरा थाना मंझौल जिला बेगूसराय मैं उपरोक्त पते का स्थाई निवासी हूँ। मेरे मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट के मूल प्रमाण पत्र में मेरा नाम मणि कुमारी (Mani Kumari) अंकित है जो सही है और मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम (Munni Devi) मुन्नी देवी अंकित है मणि कुमारी और मुन्नी देवी दोनों एक ही महिला का नाम है अब मैं मणि कुमारी (Mani Kumari) के नाम से जानी पहचानी जाऊँगी।

मणि कुमारी।

No. 1052—I, FARHAT ESAR, W/o Faisal Nadeem residing at Shershah Colony, Samanpura, Raja Bazar, Patna 800014, Bihar declare that my name has been wrongly written in the school educational records of my Son Class 10th and Class 12th CBSE Marks Statement Cum Certificate as “FARHAT ESAR NADEEM” My correct name is “FARHAT ESAR” and from now onwards I will be known by this name only. That I intent to rectify my name as FARHAT ESAR vide Aff. No 692 dated 24.07.2026

FARHAT ESAR.

No. 1053—I, **SHIBU KUMAR**, S/o—Ajay Singh, R/o—Santhe, P.O.—Kosi, Distt.—Nawada, Bihar-805107. Do hereby solemnly affirm and declare that in my educational documents of matriculation as well as in intermediate (BSEB), my name is mentioned as SHIBU KUMAR. But, in my Aadhar card my name is mentioned as SHIV KUMAR. And, from now in my future I will be known as **SHIBU KUMAR** for all my legal purposes. Affidavit no. :-18285, Date:- 31/07/2026

SHIBU KUMAR.

No. 1054—I, Pramila Kumari, W/o Mantoo Kumar Ray R/o Gram Udiyan Ganj, Chhatanwar Buxar, P.S.-Krishna Brahm Chhatanwar Buxar Bihar-802133 do hereby declare that my name has been mentioned in my Aadhar card as Pramila Kumari. In educational certificate written as KM Pramila (केएम प्रमिला) Both names are same and one person. From now I shall be known as KM Pramila (केएम प्रमिला) for all future purposes. Aff. No.-3461 dt. 12.06.26.

PRAMILA KUMARI.

No. 1055—I, Jyoti Lochan W/o Rajeev Lochan R/o ward No.-12, Nawada, Majnupur, P.O.- Nawada Majnupur, P.S.- Bachhawara, Distt.-Begusarai (Bihar)-851111 do hereby solemnly affirm and decalre that in my Pan card and other document my name is written as Jyoti Lochan. Kumari Jyoti Sharma and Jyoti Lochan. Both are same and one person. That From now I will be known as Jyoti Lochan for all future purpus. Vide Affidavit No. 1081 date 16.4.26.

JYOTI LOCHAN.

सं० 1056—मैं Naquibur Rahman पिता—Habibur Rahman ग्राम—भेरोखड़ा थाना—ताजपुर, जिला—समस्तीपुर शपथ—पत्र संख्या 467, दिनांक—16.04.2026 से कहना है कि मेरे पुत्र Rayyan Habib के शैक्षणिक प्रमाण—पत्र में मेरा नाम भूलवश Naquibur Anwar दर्ज है जो गलत है जबकि मेरा वास्तविक और सही नाम Naquibur Rahman है।

NAQUIBUR RAHMAN.

No. 1014—I, MOHAMMAD Sohail Ansari, S/O-Ali Mohammad Ansari, Resident at 25-Narmada Apartments Exhibition Road Behind LIC, P.O-G.P.O, P.S-Kotwali, Distt.-Patna, Bihar 800001 do hereby solemnly affirm and declare that-Feeh Aara is my daughter and in my daughter 10th (Secondary) all educational Certificate my name is mentioned Md. Sohail Ansari. In my Aadhar card and matriculation certificate my name is mentioned as Mohammad Sohail Ansari. That Md. Sohail Ansari and Mohammad Sohail Ansari both are same and one person from now I will be known as Mohammad Sohail Ansari for all purposes vide Affidavit no. 41, dated 16.03.2026.

MOHAMMAD SOHAIL ANSARI.

No. 1015—I, Rajiv Kumar S/o Chandan Kumar R/o Vill-Akhlaspur, Patiya, Ward No.-12, P.O-Akhlaspur, Distt.-Bhabua, Bihar-801101 do hereby declare as per aff. No.-4866 dt. 06.08.2026 that my name is mentioned in Aadhar Card as. Rahul Kumar which is wrong.

In educational documents written as Rajiv Kumar which is true and correct. From now I will be known as Rajiv Kumar for all purposes.

RAJIV KUMAR.

No. 1016—I, MUKESH Ram S/o Late Naresh Ram R/o Bodhi Bigha, Jehanabad, Bihar That my son Pawan Kumar CBSE 10th certificate my name is wrongly mentioned Mukesh Kumar. My correct name is Mukesh Ram and in Future my name known and treated as Mukesh Ram for all purposes. Affidavit no. 226 dtd. 4.7.26

MUKESH RAM.

सं० 1017—मैं, सुरीठ प्रसाद (Surith Prasad). पिता-स्व.-किन्नू प्रसाद (Kinnu Prasad), पता-ग्राम+पो.-दनारा, थाना-बिक्रम, जिला-पटना, बिहार-801104, शपथ पत्र सं. 358/20.06.26 के द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम सुरीष्ट प्रसाद (Sureesht Prasad) दर्ज है, जो गलत है तथा मेरे मतदाता पहचान पत्र में मेरा नाम सुरीठ प्रसाद (Surith Prasad) दर्ज है, जो सही है। अब मैं सभी कार्यों/प्रयोजनों के लिए सुरीठ प्रसाद (Surith Prasad) के नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा।

सुरीठ प्रसाद (Surith Prasad).

No. 1018—I, Rahul Sah S/o-Ramnath Sah R/o-Vill.-Diyaman P.O.-Diaman, P.S.Krishnabraham, Dist.-Buxar (Bihar)- 802111 vide Affidavit No. 5242 date 21.8.26 That my Aadhar card my name is written as Rahul Kumar. That my educationl certificate my name is written as Rahul Sah. That Rahul Kumar and Rahul Sah both are same and one person. That now I will be known as **Rahul Sah for all purposes.**

RAHUL SAH.

No. 1019—I, KM Suman Sahini w/o Late Ram Naresh sahani R/o ward No.-7 vte Tetri, post- Tetri sub district Dandari Distt.-Begusarai Bihar-851211 do hereby solemnly affirm and declare as per aff.No. 17167 Dt-17-08-2026.That Aradhya Sahani is my daughter.Her name is written in her I.C.S.E class 10th and birth certificate as Aradhya sahani. In Aadhar card written as Kumari Aradhya. Both names are same and one person.From now she shall be known as aradhya sahani for all purposes.

KM SUMAN SAHINI.

No. 1020—I, hither to known as Shobha Devi W/o Hemant Paswan residing at Village-Badhiya, Post+P.S- Sarmera, Dist.-Nalanda, Bihar-811104 have changed my name and shall hereafter be known as Riya Kumari. It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection. Aff. No.-355 dt. 01.07.2026

SHOBHA DEVI.

No. 1021—I, **Shashishekhar Thakur**, S/o Udit Narayan Thakur, R/o Village Bangaon, P.O.-Saharsa, P.S.-Bangaon, District Saharsa, Bihar-852212, hereby declare through Affidavit No. 3042 dated 15.04.2026 that my name has been recorded as "S S Thakur" in my son's CBSE Class 10 Marksheet and Admit card, whereas my correct name as per Aadhar is Shashishekhar Thakur. Both the names "SS Thakur" and Shashishekhar Thakur refer to one and the same person. Henceforth, I shall be known as "**Shashishekhar Thakur**" for all purposes.

SHASHISHEKHAR THAKUR.

No. 1022—I, OM PRAKASH GUPTA, S/O-Late Inder Deo Prasad, R/O-Nouzar Ghat, Diwan Mohalla, Patna City, P.S-Khajekalan , P.O-Jhauganj, Patna, Bihar-800008, do solemnly affirm and declare as follows vide Affidavit No. 4795, dated-05.08.2026. That my Voter Card my name mentioned OM PRAKASH GUPTA which is true and correct. But my Aadhar Card written as ABINASH KUMAR. That ABINASH KUMAR and OM PRAKASH GUPTA both are some and one person. That from now I will be know as OM PRAKASH GUPTA for all future purposes.

OM PRAKASH GUPTA.

No. 1023—I, Ajay Kumar S/o Chandra Kishor Sharma R/o Basantpur, Sitamarhi, Bihar-843327 do hereby declare as per aff. No. 524 dt. 15.06.2026 that my minor daughter's name is written her Aadhar Card as Shriti Sharma (श्रीष्टी शर्मा), Where as in Birth Certificate written as Shrishti Sharma (श्रीष्टी शर्मा) Both nmaes are related with same and one person. From now she shall be known as Shrishti Sharma for all purposes.

AJAY KUMAR.

सं० 1024—मैं, राज कुमार, पिता—श्री भारत प्रसाद, निवासी किसान कोल्ड स्टोरेज लेन, मुसल्लहपुर, थाना—कदमकुआं, पोस्ट—महेंदु, पटना, बिहार 800006 शपथ—पत्र सं०—1083, दिनांक—10.07.2026 द्वारा सूचित करता हूँ कि मेरी पुत्री आकांक्षा राज का नाम सभी शैक्षणिक प्रमाण—पत्रों में आकांक्षा राज अंकित है। मेरी पुत्री आकांक्षा राज एवं परी कुमारी सोनी दोनों नाम एक ही लड़की का है तथा दोनों नामों से जानी एवं पहचानी जाती है। भविष्य में अब वह आकांक्षा राज के नाम से जानी व पहचानी जाएगी।

राज कुमार।

No. 1025— I, BIMAL KUMAR HARNATHKA, S/o Premchand Agrawal, R/o- House No. 303, Sukriti Complex, S.P. Verma Road, P.O- G.P.O., P.S- Kotwali, District- Patna, Bihar-800001, do hereby declare vide affidavit no. 1043/dated- 13/8/26 My Adhar No. is 5660 2584 1360. Now, that my daughter Educational and Aadhar Card mention as VEDIKA. My daughter VEDIKA and VEDIKA AGARAWAL both are same and one person. From now on she will be known as VEDIKA AGARAWAL for future purposes.

BIMAL KUMAR HARNATHKA.

No. 1026—I, **CHANDRALOK KUMAR** , S/o – Rajendra Prasad, R/o – Vill – Punadih, P.S. - Didar Ganj, P.O. - Kachi Dargah, Dist. – Patna, Bihar - 803201. Do hereby solemnly affirm and declare that in my son's (SAURAV KUMAR) Aadhar card his name is mentioned as SAURABH RANJAN. Also, in his school his name is mentioned as SAURAV RANJAN. But, in his birth certificate his name is mentioned as SAURAV KUMAR. Here all these names belong to the names of my same son. And, from now in his future he will be known as **SAURAV KUMAR** for all his legal purposes. Affidavit no. – 3198, Date: - 02/06/2026

CHANDRALOK KUMAR.

No. 1087—I, Diwan Shamsher Khan S/o Diwan Salahuddin Khan, R/o vill.-Naugara, P.O.+P.S.-Chainpur, Distt.-Kaimur. (Bhabua) Bihar-821103. do here by declare as per affidavit No.-1623 dated 7.9.26. In my aadhar No.-416531242769 my name is written as Diwan Shamsher Khan. In 10th certificate written as Diwan Shamsheer Khan. Diwan Shamsher Khan and Diwan Shamsheer Khar both names are same and one person. who is myself. That from now I will be known as **Diwan Shamsher Khan** for all Legal Purposes.

DIWAN SHAMSHER KHAN.

No. 1129—I, DEEPASHREE, W/O NAVIN CHANDRA, R/o A/43 Sachiwalay Colony, vtc Kankarbagh, PO- Lohia Nagar, Distict-Patna, Bihar, 800020 do hereby solemnly affirm and declare that in Aadhar Card my name written is as DEEPASHREE THAKUR. In Pan Card and Educational document my name is written as DEEPASHREE. DEEPASHREE THAKUR and DEEPASHREE both are same and one person. That from now I shall be known as DEEPASHREE THAKUR for all purposes. Affidavit No 2034 dt. 06.09.26

DEEPASHREE.

No. 1048—I, PRATIMA Kumari W/o Late Satya Nand Kumar D/o Kamla Das Vill Balipakar PO-Achhua PS-Paliganj Dist.-Patna in my aadhar card my name Wrongly mentioned as Partima Kumari. My correct name Pratima Kumari Afd No 3109 Dt. - 10.07.26

PRATIMA KUMARI.

No. 1134—I, Kumari Mamta Kalyani W/o Sanjiv Chandra Singh R/o Road No.-23H. Rajeev Nagar, Phulwari, Patna, Bihar-800024 do hereby solemnly declare as per aff. No.-287 dt. 19.8.26 that my name is written in my Aadhar Card and Educational documents as Kumari Mamta Kalyani. In Passport written as Mamta Kalyani. Both names are same and one person. From now I shall be known as Kumari Mamta Kalyani for all purposes.

KUMARI MAMTA KALYANI.

No. 1135—I, **MADHU** Bala, w/o Shushil Kumar, R/O House no.25/29, Sri Ganesh Dutt Lane, RPS School Road, PS Rupaspur, Patna declare vide affidavit no. 8005 dated 3.7.26 that my Son swayam will be known as swayam siddharth.

MADHU BALA.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 27—571+100-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

बिहार गजट

का

पूरक (अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० 6/श्रम वि०आ०(02)-16/2024 श्र०सं०-2532
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

संकल्प

14 सितम्बर 2026

श्री संजय कुमार, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मोकामा सम्प्रति सेवानिवृत्त श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने के संबंध में।

श्री संजय कुमार, सेवानिवृत्त श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मोकामा के विरुद्ध नगर परिषद्, मोकामा में IHSDP योजनाओं के कार्यान्वयन में विभागीय दिशा-निर्देशों की अवहेलना कर भारी वित्तीय अनियमितता करने तथा सरकारी राशि का दुरुपयोग एवं गबन किये जाने संबंधी परिवाद के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना द्वारा विभागीय स्तर पर जाँच दल गठित कर श्री कुमार के विरुद्ध प्राप्त आरोपों की जाँच कराई गयी। जाँचोपरान्त नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-6283 दिनांक-05.0.2023 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध आरोप गठित कर श्रमायुक्त, बिहार, पटना को उपलब्ध कराते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई। तत्समय श्री कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के पद पर कार्यरत थे। अतएव इनके अनुशासनिक प्राधिकार श्रमायुक्त, बिहार द्वारा इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ की गई थी। इस बीच श्री कुमार, श्रम अधीक्षक के पद पर प्रोन्नत हो गये, और इनका अनुशासनिक प्राधिकार बदल गया।

2. उक्त के आलोक में श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक-2178 दिनांक-22.04.2024 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध आरोप प्रतिवेदित कर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा प्राप्त हुई। श्रमायुक्त, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय स्तर पर आरोप गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त विभागीय ज्ञापांक-2163 दिनांक-26.06.2024 द्वारा श्री कुमार को आरोप ज्ञापित करते हुए श्री कुमार से बचाव/लिखित अभिकथन की मांग की गई। श्री कुमार द्वारा लिखित अभिकथन उपलब्ध कराने हेतु कतिपय दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। तदालोक में वांछित अभिलेख नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त कर श्री कुमार को उपलब्ध कराते हुए बचाव बयान/लिखित अभिकथन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, (विभागीय पत्रांक-59 दिनांक-08.01.2025) किन्तु श्री कुमार द्वारा बचाव बयान/लिखित अभिकथन उपलब्ध नहीं कराया गया, एवं अन्य अभिलेख की मांग की गई। विभाग द्वारा श्री कुमार को निदेशित किया गया कि उपलब्ध कराये गए अभिलेख के आधार पर अपना बचाव बयान/लिखित अभिकथन उपलब्ध कराये अन्यथा यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है (विभागीय पत्रांक-1935 दिनांक-21.07.2026)। उक्त के आलोक में श्री कुमार के पत्रांक-शून्य दिनांक-27.07.2026 द्वारा पूर्व के कथनों को दोहराते हुए अन्य अभिलेखों की मांग की गई।

3. श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनसे प्राप्त पत्र की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई एवं समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री कुमार अपने बचाव बयान/लिखित अभिकथन उपलब्ध कराने हेतु बार-बार टाल-मटोल कर रहे हैं।

4. अतएव श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए वर्णित परिस्थिति में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री संजय कुमार, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मोकामा सम्प्रति सेवानिवृत्त श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के संगत प्रावधानों एवं बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(ख)-सह-पठित नियम-139 के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

5. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 17 (5) (ग) के आलोक में श्रीमती कुमारी शिशिर भारती, संयुक्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी एवं श्री शशि शेखर, सहायक श्रमायुक्त (प्रवासी), श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री संजय कुमार, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मोकामा सम्प्रति सेवानिवृत्त श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखेंगे, यदि वे जाँच पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं या बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत नियमों के आलोक में निर्गत निर्देशों का अनुपालन नहीं करते हैं तो संचालन पदाधिकारी द्वारा उनके विरुद्ध एक पक्षीय जाँच किया जा सकेगा।

7. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि, इस संकल्प की प्रति आरोपित पदाधिकारी श्री संजय कुमार, सेवानिवृत्त श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मोकामा (स्थायी पता: पिता का नाम-श्री जागेश्वर पासवान, ग्राम-हथौड़ी डीह, पो-हथौड़ी भाया-हायाघाट, जिला-दरभंगा) को निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से प्राप्त करायी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

VIGILANCE DEPARTMENT

ORDER

The 11th September 2026

No 2/Nig. Adhi.(Vi.Nya.)-05/2026-6342—On the basis of the details of property of **Shri Hare Krishna Prasad** furnished with the application given by the Vigilance Investigation Bureau for filing before the authorized officer of the Special Vigilance Court, there is prima facie evidence against **Shri Hare Krishna Prasad the then Executive Engineer, Flood Control Division, Water Resources Department, Siwan, S/o-Luton Safi, Address-Mohalla-Katiya Power House, P.O.-Bhim Nagar, District-Supaul, Present Address-Flat No.-204, Indira Enclave, Abhiyanta Nagar, Ranjan Path, P.S.-Rupaspur, District-Patna** who is named accused in VIB P.S. Case No.-10/2022 dated 15.03.2022 registered u/s 13(1)(e)/13(1)(b) read with section-13(2) Prevention of corruption Act 1988, for confiscation of property worth ` 1,33,53,007/- (**One Crore Thirty Three Lakh Fifty Three Thousand Seven Rupees Only**) which is more than known source of income, under Bihar special Courts Act 2009.

2.The Public Prosecutor is hereby authorized to present an application under Section 13(1) of the Bihar Special Courts Act, 2009 before the court of the authorized officer under Section 3 of the Bihar Special Courts Act, 2009 for confiscation of the above said property of **Shri Hare Krishna Prasad**.

By Order,
Mayank Warwade,
Principal Secretary to Government.

DECLARATION

*The 11th September 2026***(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)**

No 2/Nig. Adhi. (Vi.Nya.)-05/2026-6343—WHEREAS, It was alleged that **Shri Hare Krishna Prasad, S/o-Luton Safi, Address-Mohalla-Katiya Power House, P.O.-Bhim Nagar, District-Supaul, Present Address-Flat No.-204, Indira Enclave, Abhiyanta Nagar, Ranjan Path, P.S.-Rupaspur, District-Patna** while holding the then Executive Engineer, Flood Control Division, Water Resources Department, Siwan in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 or clause (b) of sub-section (1) of section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Amended Act, 2018) and that the matter was investigated in VIB P.S. Case No.-10/2022 dated 15.03.2022 of,

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of the **Shri Hare Krishna Prasad** who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means;

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Special Courts Act, 2009/Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009/Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022, the State Government do hereby declare that the said offence shall be dealt with under the Special Courts Act, 2009/Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022.

**By the order of the Governor of Bihar,
Mayank Warwade,
Principal Secretary to Government.**

वाणिज्य—कर विभाग

अधिसूचना

15 सितम्बर 2026

सं० कौन/भी-133/2023-288/सी—बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारी श्री सुनील कुमार, तत्कालीन राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), बाढ़ अंचल, बाढ़ सम्प्रति राज्य कर अपर आयुक्त(अपील), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने बाढ़ अंचल, बाढ़ के पदस्थापन काल में वित्तीय वर्ष 2019-20 में सर्वश्री NITYA ENTERPRISES मोकामा GSTIN-10BIVPG4585Q1ZI को Refund of ITC on export of goods and services without payment of Tax मद में दिनांक-14.02.2020 को रु० 12,80,637.00 का Erroneous Refund स्वीकृत किया गया। इस मामले में राज्य-कर अपर आयुक्त(प्रशासन), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना के पत्रांक-858 दिनांक-04.11.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। मुख्यालय स्तर से भी उक्त मामले की जाँच की गयी।

राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं मुख्यालय स्तर से की गयी जाँच में मुख्यतः निम्नलिखित तथ्य पाये गये:-

- (i) सर्वश्री NITYA ENTERPRISES, मोकामा GSTIN-10BIVPG4585Q1ZI को दिनांक-14.02.2020 को रु० 12,80,637.00 के स्वीकृत रिफंड के मामले में आवेदक व्यवसायी द्वारा वर्ष 2019-20 में माह नवम्बर 2019 को छोड़कर शेष अन्य माह के लिये विवरणी GSTR-3B एवं GSTR-1 शून्य दर्शाते हुये दाखिल किया गया है। माह नवम्बर 2019 के लिये दाखिल विवरणी GSTR-3B में आवेदक द्वारा रु० 2,09,38,623.00 का Export दर्शाते हुए रु० 28,02,060.00 कर दायित्व स्वीकार किया गया है एवं IGST के रूप में स्वीकृत इस कर दायित्व का भुगतान ITC के माध्यम से किया गया है। जबकि इसी अवधि के लिए रिफंड हेतु दाखिल आवेदन RFD-01 में आवेदक द्वारा Export की राशि रु० 53,71,623.00 दर्शायी

गयी है एवं इसे Export Without payment of Tax दर्शाते हुए रु० 12,80,637.00 के ITC का कर वापसी का दावा किया गया है। इस बिन्दु पर श्री सुनील कुमार द्वारा जाँच नहीं किया गया है।

- (ii) सर्वश्री NITYA ENTERPRISES, मोकामा GSTIN-10BIVPG4585Q1ZI को दिनांक-14.02.2020 को रु० 12,80,637.00 के स्वीकृत रिफंड के मामले में आवेदक M/S Nitya Enterprises GSTIN-10BIVPG4585Q1ZI मोकामा द्वारा मुख्यतः नई दिल्ली स्थित व्यवसायी M/S Prabhu Enterprises (GSTIN-07AZRPY5017D1ZO) एवं M/S Riddhivinayak Traders (GSTIN-07AMIPD3065G1ZA) से माल की खरीद दर्शाया गया गया है। Inward Supply हेतु जनित E-way bill नई दिल्ली से मुम्बई के लिये है। जबकि माल का Export कलकत्ता से किया गया है। माल का कलकत्ता के लिए परिवहन हेतु E-way bill जनित नहीं है। इस बिन्दु पर श्री सुनील कुमार द्वारा जाँच नहीं करते हुए रिफंड स्वीकृत कर दिया गया है।
- (iii) सर्वश्री NITYA ENTERPRISES, मोकामा GSTIN-10BIVPG4585Q1ZI को दिनांक-14.02.2020 को रु० 12,80,637.00 के स्वीकृत रिफंड के मामले में सृजित किये गये E-way bill में माल का HSN-7202(Ferro-Alloys) है जो आवेदक एवं उनके सप्लायर दोनों के निबंधन में कारोबार से संबंधित Commodity में शामिल नहीं है। इस बिन्दु पर श्री सुनील कुमार द्वारा जाँच नहीं करते हुए रिफंड स्वीकृत किया गया।
- (iv) सर्वश्री NITYA ENTERPRISES, मोकामा GSTIN-10BIVPG4585Q1ZI को दिनांक-14.02.2020 को रु० 12,80,637.00 के स्वीकृत रिफंड के मामले में आवेदक द्वारा उक्त अवधि में Outward Supply हेतु कुल 5 अदद E-way bill जनित किया गया, जो मुम्बई से मुम्बई के लिये अनिबंधित व्यवसायी 1. AL Meher General Trading 2. AL Rasheed General Trading 3. AL Mulook General Trading, 4. AL Majid overseas LLC के नाम पर है, जिसमें Consignee व्यवसायी का गन्तव्य भी मुम्बई है। साथ ही आवेदक ने नई दिल्ली के जिन आपूर्तिकर्ताओं से खरीद दर्शायी है, उनका अर्थात् M/s Prabhu Enterprises GSTIN-07AZRPY5017D1ZO तथा M/s Riddhivinayak Traders GSTIN-07AMIPD3065G1ZA दोनों का निबंधन निलंबित/रद्द हो चुका है। इन बिन्दुओं को श्री सुनील कुमार द्वारा नजर अंदाज करते हुए रिफंड स्वीकृत किया गया है।
- (v) सर्वश्री NITYA ENTERPRISES, मोकामा GSTIN-10BIVPG4585Q1ZI को दिनांक-14.02.2020 को रु० 12,80,637.00 के स्वीकृत रिफंड के मामले में निर्यातकर्ता द्वारा रिफंड अवधि के लिये दाखिल विवरणी GSTR-3B में IGST मद में कर का भुगतान करते हुए Export दर्शाया गया है। जबकि रिफंड हेतु दाखिल आवेदन में आवेदक द्वारा निर्यात को Export without payment of Tax दिखाते हुए ITC का रिफंड लिया गया है। इस बिन्दु की श्री सुनील कुमार द्वारा अनदेखी करते हुए रिफंड स्वीकृत किया गया।

इस प्रकार पाया गया कि श्री सुनील कुमार द्वारा सर्वश्री NITYA ENTERPRISES, मोकामा GSTIN-10BIVPG4585Q1ZI को दिनांक-14.02.2020 को रु० 12,80,637.00 का रिफंड आदेश पारित करने से पूर्व सभी आवश्यक बिन्दुओं एवं तथ्यों की सम्यक् एवं समुचित जाँच नहीं की गयी तथा Erroneous Refund स्वीकृत किया गया।

राज्य कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना के प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं मुख्यालय स्तर से की गयी जाँच के आलोक में श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को समीक्षोपरांत स्वीकार योग्य नहीं पाया गया और उनके विरुद्ध आरोप पत्र गठित किया गया, जिसपर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। आरोप पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक-12/सी(अनु0) दिनांक-24.01.2024 द्वारा श्री कुमार से बचाव का लिखित अभिकथन की माँग की गयी। तदालोक में श्री कुमार द्वारा पत्रांक-41 दिनांक-12.03.2025 के माध्यम से अपना बचाव का लिखित अभिकथन विभाग को उपलब्ध कराया गया।

श्री सुनील कुमार से प्राप्त बचाव अभिकथन को समीक्षोपरांत अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(5) में निहित प्रावधानों के आलोक में विहित रीति से विभागीय संकल्प ज्ञापक-271/सी(अनु0) दिनांक-12.08.2025 के माध्यम से अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुशासनिक कार्यवाही के फलस्वरूप प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित निष्कर्ष के संदर्भ में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा असहमति का बिन्दु अंकित करते हुए विभागीय पत्रांक-131/सी(अनु0) दिनांक-04.05.2026 द्वारा श्री कुमार से लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी।

उक्त के आलोक में श्री कुमार द्वारा पत्रांक-14 दिनांक-20.05.2026 के माध्यम से अपना लिखित अभ्यावेदन/निवेदन उपलब्ध कराया गया जिससे असहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(vi) के प्रावधानानुसार संचयी प्रभाव के साथ एक वेतन वृद्धि पर रोक लगाने संबंधी वृहत शास्ति का दंड संसूचित किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त विनिश्चित दंड के प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग से विभागीय पत्रांक-208/सी (अनु0) दिनांक-13.07.2026 द्वारा परामर्श/सहमति की मांग की गयी।

तदालोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-1892 दिनांक-25.08.2026 के माध्यम से उक्त विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी है।

अतएव अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दंड प्रस्ताव पर दी गयी सहमति/परामर्श के आलोक में श्री सुनील कुमार, तत्कालीन राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), बाढ़ अंचल, बाढ़ सम्प्रति राज्य कर अपर आयुक्त(अपील), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर की एक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विजय कुमार,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 27—571+30-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>